उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-28/33मं0आ0/92-2014-44(जांच)/2014,

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर: 2014

कार्यालय ज्ञाप

जनपद-बलिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कार्यों में बरती गयी उदासीनता, लापरवाही एवं अधोमानक स्तर पर कराये गये कार्य तथा कार्यों पर अत्यधिक शिथिल निरीक्षण किये जाने के कारण मार्गों में हुई खराब स्थिति के लिये श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3मं0आ0/92-2014-44(जांच)/2014, दिनांक 06-6-2014 द्वारा उन्हें निलम्बित कर, उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की विभागीय जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या सम्प्रति प्रतीक्षित है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री मो0 रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1/2, बलिया (सम्प्रति निलम्बित) को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ एतद्द्वारा सेवा में बहाल किया जाता है कि उनके विरूद्ध संस्थित प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी।

3- उक्त बहाली के फलस्वरूप श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, पूर्ववत् ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ में सम्बद्ध रहेंगे। श्री मो0 रिजवान साबिर की तैनाती के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश

प्रमुख सचिव।

संख्या-28/33मं0आ0(1)/92-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियंता की तैनाती का प्रस्ताव शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in